(Authoritative English Text of this Government Notification No. ~~YSS-B-~~(i)18/94 Dated ______________ as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Dy. No 665
24-4-97

....

Government of Himachal Pradesh
Department of Youth Services & Sports

....

Dated Shimla-2 17,4,1997

No. YSS-B-(i)18/94

Notification

The Government of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Sweeper(Class-IV)(Non-Gazetted) in the Department of Mountaineering and Allied Sports Manali, Himachal Pradesh as per Annexure'A' attached to this notification, namely:-

Short title and 1 (i) These Rules may be called the Himachal Pradesh Mountaineering and Allied Sports, Manali, Sweeper(Class-IV)(Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

Repeal and Savings 2 (i) The Himachal Pradesh Mountaineering and Allied Sports Class-IV Service Recruitment, Promotion and certain Conditions of Service Rules, 1973 notified vide this Department Notification No.8-10/73-G.A.B. dated 10.9.1973 are hereby repealed to the extent these are applicable to the post of Sweeper.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, to repealed under sub-rule 2(i) supra shall be deemed to have been validly made done or taken under these rules.

By Order,
(Vinod Lal)
Commissioner-cum-Secretary(YSS) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst No-YSS-B-(i)18/94 Dated Shimla-2 17,4,1997

Copy forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. All the Heads of Department in H.P.
3. Director, Mountaineering and Allied Sports Manali, H.P.
4. The Controller, Printing and Stationery, H.P. Shimla-5 for publication in the Rajpatra (Extra Ordinary). A copy of the Rajpatra may kindly be supplied to this Department for record.
5. The Deputy Legal Remembrancer to the Govt. of H.P.
5. A.L.D (English/Hindi), opinion Cell, Law Deptt. H.P. Sectt.
6. 50 Spare Copies.
7.

Additional Secretary(YSS) to the
Government of Himachal Pradesh.

Annexure'A'

Recruitment and Promotion rules for the post of Sweeper(Non-Gazetted) Class-IV in the Department of Mountaineering and Allied Sports Manali, Himachal Pradesh.

....

1. Name of the Post	Sweeper
2. Number of Posts	5 (Five)
3. Classification:	Class-IV (Non-Gazetted) Ministerial Services.
4. Scale of pay;	Rs.750/-with a start of Rs.770-30-950-35-1160-40-1320-45-1410
5. Whether Selection post of Non-Selection post	N.A.
6. Age for direct recruitment:	Between 18 and 35 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the condidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public sector Corportations and Autonomous Bidies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of intial constitutions of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorved in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies;

.....2.....

Note:-

(i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the employment Exchange or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the recruitment authority in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualification required for direct recruits.	a) ESSENTIAL: i) should have the knowledge of reading and writing in English or Hindi. ii) DISIRABLE QUALIFICATION: Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of the Promotees.	Age: Not applicable. Educational Qualifications: N.A.
9. Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion, deputation transfer grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.	Not applicable.
12. If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition.	Not applicable
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.
14. Essential requirement for a direct recruitment:	A candidate for appointment to any service or post must be:- a) a citizen of India, or b) a subject of Nepal, or c) a subject of Bhutan, or d) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permanently settling in India. e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri-Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanzanika and Zanzibar), Zambia, Malwa, Zanre and Ethopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the recruitment authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Govt. Of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Recruitment authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/sullabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority as the case may be.

16. Reservation.

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time.

17. Powers to Relax.

Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

.....

हिमाचल प्रदेश सरकार
युवा सेवाएं एवं खेल विभाग

संख्या:वाई एस एस–बी–(ए)(8/94 दिनांक शिमला–2 17 1997

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिमाचल प्रदेश पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल विभाग मनाली में सफाईकर्ता (स्वीपर) वर्ग–4 (अराजपत्रित) पद के लिये, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल, मनाली, सफाईकर्ता (स्वीपर) वर्ग–4 (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां

2 (1) इस विभाग की अधिसूचना:8–10/73–जी.ए.वी. तारीख 10.9.1973 द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश माउंटेरियरिंग एण्ड एलाइड स्पोर्टस क्लास–4 सर्विसज रिक्रूटमैण्ट, प्रोमोशन एण्ड सरटेन कन्डीशन आफ सर्विस रूल्ज, 1973 एतद् द्वारा उस विस्तार तक निरसित किये जाते हैं, जहां तक ये सफाईकर्ता (स्वीपर) के पद को लागू हैं।

(2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपरोक्त उप–नियम 2(1) के अधीन निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कारवाई इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप से की गई समझी जायेगी।

आदेश द्वारा,
(विनोद लाल)
आयुक्त एवं सचिव (युवा सेवाएं व खेल)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या:–यथोपरि– दिनांक शिमला–2 17,4,199

प्रतिलिपि प्रेषित है:–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. निदेशक, पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल मनाली हिमाचल प्रदेश।
4. नियन्त्रक, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–5 को हिमाचल प्रदेश के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु आपसे अनुरोध है कि राजपत्र की एक प्रति रिकार्ड हेतु इस विभाग को उपलब्ध करवायें।
5. सहायक विधायी प्रारूपकार (हिन्दी)/अंग्रेजी हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला–2
6. गार्ड प्रति–50

अतिरिक्त सचिव (युवा सेवाएं व खेल)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

अनुबन्ध "ग"

पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल विभाग मनाली में स्वीपर (सफाईकर्ता) (अराजपत्रित) वर्ग–4 के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम ।

.....

1. पद का नाम:	स्वीपर (सफाईकर्ता)
2. पदों की संख्या:	5 (पांच)
3. वर्गीकरण:	वर्ग–4 (अराजपत्रित)
4. वेतनमान:	750 के प्रारम्भिक वेतनमान में रु0 770–30 950–35–1160–40–1320–45–1410.
5. चयन पद अथवा अचयन पद:	लागू नहीं ।
6. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु:	18 से 35 वर्ष ।

7. परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गये पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर/निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर/निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर/निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर/निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किये गये है और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किये गये थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी ।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा:

(क) अनिवार्य:

(i) हिन्दी या अंग्रेजी में लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान रखता हो।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं

आयु: लागू नहीं।

शैक्षणिक अर्हताएं: लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो,

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता:

शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा

लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, उसकी संरचना।

लागू नहीं।

13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:

जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा:

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का निम्नलिखित होना आवश्यक है:

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हो, या

(ड.) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों या कीनिया, युगाण्डा, युनाईटड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पहले तन्जानिया और जंजीबार) जांबिया, मालवा, जेयर के और इथोपिया से, भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रयास किया है:

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ड.) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, .. या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता की अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही, दिया जायेगा

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन: सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर, और यदि यथास्थिति अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

16. आरक्षण: उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17. शिथिल करने की शक्ति: जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

...